भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 14

उत्तर देने की तारीख 19.07.2021

प्रबंध पोर्टल

†14. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

श्री भोला सिंहः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्कूल बीच में छोड़ चुके 6-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के आंकड़े संकलित करने के लिए प्रबंध पोर्टल आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्कूल बीच में छोड़ चुके 16-18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की मुक्त/दूरस्थ अधिगम पद्धति के माध्यम से शिक्षा जारी रखने के लिए वर्तमान सत्र 2021-22 में पहली बार वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोविड वैश्विक महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है, और

(छ) क्या सरकार ने कोविड -19 वैश्विक महामारी के बीच 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है तथा प्रस्तावित मूल्यांकन मानदण्ड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): जी हां। इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर बच्चों (ओओएससी) के आंकडों के संकलन और प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनके मानचित्रण के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई ओओएससी और एसटीसी की बाल-वार जानकारी को मान्य करता है।

(ग) और (घ): समग्र शिक्षा के तहत, 2021-22 में पहली बार, एनआईओएस / एसआईओएस के माध्यम से 16-19 आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने हेतु अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए 2000 रू. प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) और (च): इस विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने और उन्हें स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के दायरे में लाकर और शिक्षकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों की भूमिका को निरूपित करते हुए दिनांक 16.06.2021 को एक संयुक्त अर्ध-शासकीय पत्रांक 13-10/2021-आईएस-11 जारी किया है।

(छ): जी हाँ। मूल्यांकन मानदंड, सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका लिंक https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Tabulation%20Policy%20Class%20XII%202021.pdf पर है।

*****